रजिस्टर्ड नं० HP 13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2001/23 भाद्रपद, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(सचिवालय प्रशासन सेवायें-I)

अधिसूचना

शिमला-2, 18 अगस्त, 2001

संख्या पर (एस०ए०एस०) ए-ए(3)-1/95.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 25-7-1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवायें) में रोकड़ एवं बिल वाहक (वर्ग-III, अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवायें) रोकड़ एवं बिल वाहक (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध 'अ' में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवायें) रोकड़ एवं बिल वाहक (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध-'अ' में:—

(क) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:—

जिल्दसाजों, रेस्टोररों एवं केयर टेकरों मे से, जिनका अपने-अपने ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को शामिल करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए क्रमश: जिल्दसाजों, रेस्टोररों एवं केयर टेकरों का पद धारण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की उनकी पारस्पारिक वरिष्ठता में विघ्न डाले बिना उनके सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूचि तैयार की जाएगी :

परन्तु यह भी कि अपनी स्वेच्छा पर प्रोन्नत व्यक्ति को, किसी अन्य समतुल्य काडर को प्रत्यावर्तन, नियुक्ति या स्थानान्तरण का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि जो व्यक्ति पद के लिए अपनी बारी पर एक बार अनिच्छा व्यक्त करता है वह भविष्य की नियुक्तियों इत्यादि के विचार के लिए अपात्र होगा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी:—

(I) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा/समझे जाएंगें यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-98 तक की गई उपरोक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा की गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of Government Notification No. Per (SA S-I)A-A(3)-1/95, dated 18-8-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th August, 2001

No. Per (SAS-I)A-A(3)-1/95.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services), Cash & Bill Messenger, (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified by this department *vide* notification of even number, dated 25-7-1996, namely:—

1. *Short title and commencement*.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services), Cash & Bill Messenger, (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment & Promotion (Second Amendment) Rules, 2001.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment in Annexure-'A'*.—In Annexure-'A' to the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services), Cash & Bill Messenger (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1996:—

(*a*) For the existing provisions against the Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Book-Binders, Restorers and Care-takers who possess atleast three years regular service or regular combined with continuous *adhoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the respective grade :

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of all the eligible officials holding the posts each of Book-Binders, Restorers and Care-takers respectively without disturbing their cadre-wise *inter-se-seniority* shall be prepared :

Provided also that the person promoted on his volition, will have no right of reversion, appointment or transfer to any other equivalent cadre:

Provided further that the person once shows indisposition for the post, on his turn, he will became ineligible for consideration for future appointments etc.

(1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions:—

(*i*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall also possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex*-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex*-servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service of the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-98 as referred to above shall remain unchanged.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।